(c) whether it is a fact that Government intends the project named Assam Gas Cracker to be disintegrated and set up under two or three different corporate entities; and

(d) if so, the reasons for such disintegration?

THE MINISTER OF STATE IN THE MINISTRY OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI EDUARDO FALEIRO): (a) No. Sir.

(b) The Government has no objection in making available sufficient quantity of associated and non-associated gas for the LOI capacity of 3 lakh TPA subject to the availability of gas.

(c) and (d) No, Sir.

Identification of drugs for price control

962. SHRI RAJNI RANJAN SAHU: Will the Minister of CHEMICALS AND FERTILIZERS be pleased In state:

(a) whether it is a fact that Government have taken the cut off date for identification of drugs for price control as March. 1940;

(b) whether vast replacements of drugs is being done based on effectiveness and toxicity;

(c) the objective under which March. 1990 has been taken and the reason for not taking March, 1994;

(d) whether all recently introduced drugs are being sold at exorbitant prices: and

(e) the names of the drugs which have been introduced from 1990-end of 1995 alongwith the names of the leader of the follower brand and their prices?

THE MINISTER OF CHEMICALS AND FERTILIZERS (SHRI RAM LAKHAN SINGH YADAV): (a) to (e) The cut off date for identification of drugs for price control as also the updation of the list is provided for in the 'Modifications in Drug Policy, 1986'. which is as follows:

Para 22.7 (v)

"For applying the above criteria, to start with the basis would be the date upto 31st March, 1990 collected for the exercise of the Review of the Drug Policy. The updating of the date will be done by the National Pharmaceutical Pricing Authority as detailed in para 22.7.4 (i).

On the above basis the list of price controlled drugs has been prepared and updation will be undertaken by NPPA, which is in the process of formation.

मूल्य-नियंत्रण के अधीन औषधियाँ

963. **श्री राम जेठमलानी** :

श्रीमती सुषमा स्वराज :

क्या **रसायन और उर्वरक मंत्री** । **दिसंबर**, 1995 को राज्य सभा में तारांकित प्रश्न 100 के दिए गए उत्तर को देखेंगे और यह बताने की कृपा करेंगे कि :

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा गत वर्ष घोषित की गई नई औषध नीति के तहत पहले के 135 ब्राण्डों में से 76 ब्राण्डों की औषधियों को मूल्य नियंत्रण के क्षेत्र में लाया गया था;

(ख) क्या यह सच है कि सरकार ने मूल्य नियंत्रण के प्रयोजनार्थ गठित किए जाने वाले औषध मूल्य प्राधिकरण का गठन अब तक नहीं किया है;

(ग) यदि हां, तो उक्त प्राधिकरण का गठन न किए जाने के क्या कारण है; और

(घ) उक्त प्राधिकरण को कब तक गठित किए जाने की संभावना हैं?

रसायन और उर्वरक मंत्री (श्री राम लखन सिंह यादव) : (क) पूर्व डी.पी.सी.ओ., 1987 की प्रथम अनुसूची में 21 प्रपुंज औषधों और दूसरी अनुसूची में 124 औषधों की तुलना में डी.पी.सी.ओ., 1995 की प्रथम अनुसूची में सूचीबद्ध किए गए प्रपुंज औषधों की संख्या केवल 76 है ।

(ख) से (ड) "औषध नीति, 1986 में संशोधानों" के उपबन्धों के अनुसार मूल्य निर्धारण का कार्य करने के लिए नेशनल फार्मास्युटिकल्स प्राइसिंग अथारिटी (एन.पी.ए.) विशेषज्ञों का एक स्वतन्त्र निकाय की स्थापना की जानी है । प्रस्तावित एन.पी.पी.ए., के अध्यक्ष और सदस्य सचिव के पदों के सृजन के लिए अनुमोदन प्राप्त कर लिया गया है । इस मामलें में अनुवर्ती कार्रवाई प्रगति पर है ।